

Head Office - 2 :
Personnel Services Department
3&4, DD Block (Sector - I)
Salt Lake, Kolkata - 700 064

(भारत सरकार का उपक्रम)
सम्मान आपके विश्वास का
(A Govt. of India Undertaking)
HONOURS YOUR TRUST

Circular No.
CHO/PAS/05/2008-09
Dated : 30.03.2009

TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIAN UNION :

Sub : Half Yearly Closing Allowance to Award Staff

Considering the fact that the employees do take part in the closing related work in addition to their routine duty during closing of accounts of the Bank, the Committee of the Board of the Bank on HR related issues, in its meeting held on 08.03.2009, has approved payment of half yearly Closing Allowance to award staff working at branches. In case of award staff working in Administrative Offices, such payment is to be kept restricted to those who are associated with compilation of closing statements (to be identified by the Zonal Head/Departmental Head at HO).

Accordingly, the members of award staff working at branches and those associated with compilation of closing statements in Administrative Offices may be paid Closing Allowance during half yearly closing of accounts at the following rates :

Clerical Staff	-	Rs. 200/-	every half year
Sub-Staff (excluding sweepers)	-	Rs. 150/-	-do-
Sweepers	-	Rs. 100/-	-do-

Sanctioning Authority : Branch Heads at Branch level, Zonal Heads at Zones and Departmental Heads at Head Office.



**GENERAL MANAGER
(PERSONNEL SERVICES)**

प्रधान कार्यालय-2 :
कार्मिक सेवा विभाग
3 एवं 4, डी.डी. ब्लॉक, (सेक्टर-I)
साल्ट लेक, कोलकाता-700 064

(भारत सरकार का उपक्रम)
सम्मान आपके विश्वास का
(A Govt. of India Undertaking)
HONOURS YOUR TRUST

परिपत्र सं० :
सी एच ओ/पी ए एस /05/2008-09
दिनांक : 30.03.2009

भारत संघ में स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों को

विषय : पंचाट कर्मचारियों को अर्ध वार्षिक लेखाबंदी भत्ता

बैंक के लेखाबंदी के दौरान अपने दैनिक कार्य को करते हुए लेखाबंदी से संबंधित कार्य में कर्मचारियों के योगदान को ध्यान में रखते हुए, बैंक के मानव संसाधन मामलों से संबंधित बोर्ड की समिति ने 08.03.2009 को संपन्न अपनी बैठक में शाखाओं में कार्यरत पंचाट कर्मचारियों को अर्ध वार्षिक लेखाबंदी भत्ता के भुगतान का अनुमोदन किया है। प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में यह पाबंदी है कि उक्त भत्ते के भुगतान केवल उन्हीं कर्मचारियों को किया जाएगा जो लेखाबंदी विवरणों का संकलन कार्य करेंगे (उनकी पहचान अंचल प्रमुख/प्र.का. के विभागों के अध्यक्ष करेंगे)

तदनुसार, शाखाओं में कार्यरत तथा प्रशासनिक कार्यालयों में लेखाबंदी विवरणों के संकलन कार्य से संबद्ध पंचाट कर्मचारियों को निम्नलिखित दर से अर्ध वार्षिक लेखाबंदी भत्ते का भुगतान किया जा सकता है :

लिपिक स्टाफ	-	रु. 200/- प्रत्येक अर्ध वर्ष
अधीनस्थ स्टाफ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	रु. 150/- प्रत्येक अर्ध वर्ष
सफाई कर्मचारी	-	रु. 100/- प्रत्येक अर्ध वर्ष

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी : शाखा स्तर पर शाखा प्रमुख, अंचलों में अंचल प्रमुख एवं प्रधान कार्यालय में विभागीय अध्यक्ष।



महाप्रबंधक
(कार्मिक सेवा)